भारतीय रिज़र्व बैंक

कर्मचारी भविष् य निधि विनियमावली , 1935

(जून 2006 तक संशोधित)

भाग I - स् थायी

भाग II -

(अतिरिक् त अभिदान) विनियमावली

विभिन् न फार्म

1. कर्मचारी का अभिदान

2. फार्म 2

3. फार्म 2A

4. फार्म 3

5. फार्म 3A

6. फार्म 3B

7. फा र्म ASI

8. फार्म ASII

9. फार्म 5

10. कर्मचारी का घोषण ृपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक

कर्मचारी भविष् य निधि विनियमावली , 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का II) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण् ड (‘¸) के द्वारा उन् हें प्रदत् त शक्तियों का प् रयोग करते हुए केन् द्रीय बोर्ड , केंद्र सरकार की पूर्वस् वीकृति से एतद Ãद्वारा निम् नलिखित विनियमावली बनाते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष् य निधि विनियमावली , 1935 कहलाएगी तथा 1 अक् तूबर 1935 से लागू होगी।

भाग I

स् थायी उपबंध

निधि का गठन

1. एक नधि का गठन किया जाएगा , जो भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष् य निधि कहलाएगी।

निधि का प्रशासन

2. यह निधि बैंक द्वारा धारित होगी तथा इसका प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाएगा , जिसमें केंद्रीय बोर्ड समिति तथा तीन व् यक्ति शामिल होंगे , जिनमें से एक अधिकारियो ंका , दूसरा लिपिकीय स् टाफ का तथ¸ तीसरा ‚š¸ú›¸¬˜¸ स् टाफ का प्रतिनिधित् व करेगा। इन् हे¿ गवर्नर द्वारा नामित किया जाएगा (इन विनियमों में इसके बाद निधि के प्रशासक कहा जाएगा)। विभिन् न विनियमों के अधीन उन् हें प्रदत् त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल ÷¸½ ह ुए निधि के प्रशासक विनियमों के अधीन निधि की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा सभी कार्यकलाप करने के लिए पात्र हैं।

प्रशासकों की बैठक

3. प्रशासकों की प्रत् येक बैठक में गवर्नर या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा चयनित उप गर्वनर अध् यक्षता करेंगे। कारो बार चलाने हेतु कोरम के लिए कम से कम तीन प्रशासक आवश् यक है , जिनमें गवर्नर या उप गवर्नर का होना आवश् यक है। प्रत् येक प्रशासक को एक मत देने का अधिकार है और मतों का समान विभाजन होने पर अध् यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

लेखा -विवरण

4. निधि का लेखा वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च को तैयार किया जाएगा तथा उस तारीख का लेखा -परीक्षित विवरण प्रशासकों की 31 अगस् त से पहले अथवा ऐसी बाद की तारीख मे होनेवाली बैठक मे¿ प्रस् तुत किया जाएगा जिसकी प्रशासकों द्वारा प्रति वर्ष अनुमति दी जाएगी तथा ऐसी बैठक के बाद ऐसे विवरण की प्रतिलिपि प्रत् येक कार्यालय और शाखा में यथाशीघ्र अभिदाता को उपलब् ध कराई जाएगी।

सदस् यता जिनके लिए अनिवार्य है

5. (i) इ¬¸ विनियम के भाग II के प्रावधानों को छोडकर , बैंक का प्रत् येक स् थायी कर्मचारी निधि मे अभिदान करने के लिए बाध् य होगा।

(ii) किसी पद पर प¢रवीक्षा पर नियुक् त कर्मचारी , जो स् थायीकरण होने पर बैंक का स् थायी कर्मचारी बनेगा , को इन विनियमों के प्रयोजन से „¬¸की पहली नियुक्ति की तारीख से स् थायी कर्मचारी माना जाएगा।

(iii) (क) ऐसे कर्मचारी के अतिरिक् त जो पहले ही किसी अन् य भविष् य निधि में अंशदान दे रहा है, अन् य कोई अस् थायी कर्मचारी प्रशासकों की अनुमति से निधि में अभिदान दे सकता है।

(ख) बैंक से आकस्मिक से इतर परिश्रमिक पाने वाले अन् य व् यक्ति भी प्रशासकों की अनुमति से निधि में अभिदान दे सकते हैं।

बशर्ते कि जहां ऐसे व्यक्ति की निधि में उसके खाते में कोई राशि है और विनियम 14 के उपबंधों के अधीन वह राशि उसे देय हो जाती है, तो अपवाद के तौर पर , यदि प्रशासक ऐसी अनुमति देते हैं, ऐसी राशि निधि में उसके खाते में जब तक कि वह बैंक से आकस्मिक से इतर अन् य पारिश्रमिक लेता रहेगा तथा विनिमय 13 में कुछ भी निहित होते हुए भी ऐसी राशि पर ब् याज उपचित होगा।

5 क. कोई कर्मचारी , जिससे विनियम 5 के अधीन निधि में अभिदान करना अपेक्षित हो , या जिसे अनुमति दी गई हो , के अनुरोध पर प्रशासक उसके पूर्ववर्ती नियोजक द्वारा रखे गए भविष्य निधि खाते में से उन्हें देय तथा नियोजक द्वारा सीधे निधि को अंतरित राशि ऐसे कर्मचारी के खाते में जमा करने हेतु प्राप्त करेंगे।

5 ख. यदि बैंक के किसी श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों की बकाया राशि देय हो और यदि बैंक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसी बकाया राशि या उसके किसी भाग का नगद संवितरण नहीं किया जाएगा , लेकिन संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा , तो प्रशासक बैंक के अनुरोध पर ऐसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करने हेतु ऐसी राशियां प्राप्त करेंगे।

बशर्ते कि इस प्रकार दी गयी राशि के संबंध में बैंक द्वारा निधि में कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

5 ग. इन नियमों में इसके विरूद्ध जो कुछ कहा गया है उसके बावजूद जब तक कोई सहायक संस्था आवश्यक विनियम अथवा नियम , जैसी भी स्थिति हो , बनाने के बाद अपनी स्वयं की भविष्य निधि की स्थापना नहीं करती , प्रशासक अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्तियों से अभिदान प्राप्त कर सकते हैं जो सहायक संस्था के कर्मचारी हैं तथा उनकी ओर से नियोजक सहायक संस्था से अंशदान प्राप्त करेंगे तथा ऐसे अभिदान और अंशदान रखेंगे और निधि में उनके खातों का रखरखाव करेंगे। ऐसे अभिदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी नहीं रहे हैं या नहीं हैं, इसके बावजूद प्रशासक अथवा इस संबंध में प्रशासकों द्वारा नामित व्यक्ति ऐसे खातों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन से कोई संस्था तभी `सहायक संस्था ' मानी जाएगी जब ऐसी संस्था की पूंजी में भारतीय रिज़र्व बैंक की भागीधारिता 40 प्रतिशत से कम न हो या कम न रही हो।

अभिदान की दर

6. अभिदाता जिस तारीख से अभिदान शुरू करेगा , अभिदान की दर वह स्वयं तय करेगा जो उसके वेतन के 10% से अधिक या 5% से कम नहीं हो गी , बैंक द्वारा उसके मासिक वेतन में से ऐसे अभिदान की कटौती की जाएगी , ऐसी राशि की गणना निकटतम पूर्ण रुपए में की जाएगी , 50 पैसे से कम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभिदाता द्वारा एक बार इन सीमाओं के बीच अभिदान की दर तय करने के बाद उसमें परिवर्तन , ऐसा करने की उनक ीइच्छा की लिखित सूचना मिलने पर किया जाएगा। इसके लिए उन्हें भुगतान करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को एक कैलेंडर माह पहले सूचना देनी होगी।

स्पष्टीकरण

इस विनियम में अभिव्यक्ति "भुगतान "

i) में मूल वेतन , विशेष वेतन , वैयक्तिक वेतन , विशेष वैयक्तिक वेतन , समु द्रपारी वेतन , स्थानीय वेतन तथा स्थानापन्न वेतन शामिल है ;

ii) इसमें कोई भी भत्ते या अन्य परिलब्धियां शामिल नहीं हैं , जब तक कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा उसे विशेष रूप से वेतन में वर्गीकृत न कि या जाए।

अभिदाता के छुट्टी पर रहने पर अभिदान

7. किसी अभिदाता के छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उनके अभिदान का आकलन उसके छुट्टी वेतन पर किया जाएगा , किंतु ऐसा कोई भी अभिदाता अपने वेतन की पूर्ण राशि के आधार पर अभिदान करने के लिए स्वतंत्र होगा बशर्ते कि ऐसा करने की उसकी इच्छा की लिखित सूचना उसे भुगतान करने वाले अधिकारी को उसका पहला छुट्टी का वेतन अदा करने के कम -से -कम 14 दिन पहले दी जाए।

बैंक का अंशदान

8. इन विनियमों में अन्यथा जो कहा गया है , उसे छोड़कर , बैंक प्रति माह प्रत्येक अभिदाता के भ नि खाते में उसके द्वारा दिए गए अभिदान जितनी राशि का अंशदान निधि में उसके खाते में करेगा।

बशर्ते कि जिन अभिदाताओं पर भा .रि . बैंक पेंशन विनियमावली , 1990 लागू होती है तथा ऐसे अभिदाता जिन्हें विनियम 5 के उप -विनियम (iii) के अधीन

अभिदान करने की अनुमति दी गई है, के संबंध में बैंक द्वारा ऐसा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि उप विनियम (iii) के अधीन अभिदान करने वाले अस्थायी कर्मचारी , जिसे बाद में बैंक की स्थायी सेवा में लिया जाता है तथा कर्मचारी पर भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियमावली , 1990 लागू नहीं होती , तब कर्मचारी का स्थायीकरण होने पर बैंक उसकी अस्था यी सेवा के दौरान उसके अभिदान की राशि के समान राशि का अंशदान करेगा।

बशर्ते यह भी कि जिस कर्मचारी को विनियम 5 के विनियम (iii) के खण्ड (ख) के अधीन अभिदान की अनुमति दी गई है, उसके संबंध में यदि उसकी सेवा की शर्तों में बैंक द्वारा अंशदान करने का प्रावधान है, केवल तभी बैंक उसमें अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.क. विनियम 8 में जो कुछ निहित है, उसके बावजूद जहाँ गवर्नर या उप गवर्नर की सेवा की शर्तों में विनियम 5 के उप विनियम (iii) के अधीन निधि में अभिदान करने का प्रावधान हो , तो बैंक ऐसी सेवा की शर्तों के अधी न लागू होने वाली तारीख से निधि में उसके खाते में ऐसी राशियाँ , यदि हों , जमा करेगा , जिनका उक्त सेवा की शर्तों में प्रावधान किया गया है।

प्रशासक

8.ख. जिन कर्मचारियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन नियमावली , 1990 लागू होती है, उनके संबंध में प्रशासक 31 अक् तूबर 1990 को बैंक का अशंदान , उसपर जमा ब् याज सहित भारतीय रिज़र्व बैक कर्मचारी उपदान और अधिवर्षिता निधि विनियमावली , 1975 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी उपदान और अधिवर्षिता निधि में अंतरित करेंगे।

ब्याज

9. प्रत् येक अभिदाता के नाम पर जमा राशियों पर बैंक द्वारा प्रतिवर्ष नियत की जाने वाली दर पर अर्ध वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। बैंक द्वारा यह दर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए या दिए गए नियम, योजनाओं और निदेशों के अनुसार अन्य भविष् य, धर्मार्थ, धार्मिक और न्यास तथा अर्ध -न्यास निधियों में निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी। प्रत् येक अभिदाता के खाते में मासिक गुणफल पर ऐसे ब्याज की गणना निकटतम पूर्ण रूपए में की जाएगी तथा पचास पैसे से कम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 31 मार्च और 30 सितंबर को दिया जाएगा।

17 जून 2006 की गजट अधिसूचना द्वर ासंशोधित

प्रत्येक अभिदाता का वार्षिक विवरण

10. प्रत् येक अभिदाता प्रशासकों से एक वार्षिक विवरण प्राप् त करेगा जिसमें निधि में उसके खाते में जमा राशि दर्शाई जाएगी।

निधि से उधार लेना

11. (i) अभिदाता को, आवेदन करने पर, निधि में उसके नाम पर जमाराशि में से बैंक के विवेकानुसार निम् नालिखित शर्तों पर अस् थायी अग्रिम प्रदान किया जाएगा, जिसकी राशि किसी भी मामले में अभिदाता के स्वयं के अभिदान और उस पर उपचित ब्याज से अधिक नहीं होगी :

(क) बैंक इससे अश् वस् त हो कि राशि निम्नलिखित उद्देश् य या उद्देश् यों से ही खर्च की जाएगी और अन् यथा नहीं -

(i) बीमारी या विकलांगता के संबंध में खर्च अदा करने हेतु। इसमें जहां आवश् यक हो, अभिदाता या उन पर वास् तव में आश्रित किसी व्यक्ति का यात ्राखर्च शामिल होगा।

(ii) उच् चतर शिक्षा की लागत पूरी करने हेतु। इसमें जहां आवश् यक हो, निम् नलिखित मामलों में अभिदाता या उस पर वास् तव में आश्रित किसी व्यक्ति का यात्रा खर्च शामिल होगा ; जैसे :

(क) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से ऊपर के कसी शैक्षणिक , तकनीकी , व्यावसायिक या वोकेशनल पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए, तथा

(ख) किसी मान् यताप्राप् त संस् था द्वारा चलाए गए विद्यालय में दस वर्ष की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, किसी मेडिकल , अभियांत्रिकी , तकनीकी , व्यावसायिक या विषेशज्ञता , वोकेशन ल पाठ्क्रम के लिए, जिसमें डिग्री /डिप् लोमा या प्रमाणपत्र मिलता हो।

(iii) अभिदाता के स्वयं के अथवा उसके बच्चों के अथवा उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के विवाह अथवा अन्य समारोहों के संबंध में उसके रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी प्रतिष्ठानुसार उचित स्तर पर आवश्यक व्यय अदा करने हेतु -

बश÷¸½Ä कि वास्तविक निर्भरता की शर्त अभिदाता के पुत्र या पुत्री के मामले में लागू नहीं होगी अथवा ऐसे मामलों में जहाँ अभिदाता के माता-पिता के अंतिम संस्कार के लिए अग्रिम अपेक्षित हो ;

(iv) अभिदाता के कार्यालयीन कार्य के निष्पादन में उनके द्वारा किए गए अथवा किए गए माने गए किसी कार्य के संबंध में उन पर लगाए गए आरोपों के विरुद्ध स्वयं का बचाव करने हेतु अभिदाता द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही की लागत पूरी करने हेतु। इस मामले में किसी अन्य बैंक स्त्रोत से इस ी प्रयोजन के लिए स्वीकार्य किसी अन्य अग्रिम के अतिरिक्त यह अग्रिम उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि इस उप-खंड के अधीन ऐसे अभिदाता को अग्रिम अनुमत नहीं होगा जो किसी न्यायालय में ऐसे मामले में कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करता है, जो उसके कार्यालयीन कार्य से असंबद्ध हो या बैंक के विरूद्ध सेवा की किसी शर्त या उसे दिए गए दंड के लिए हो ;

(v) बैंक द्वारा किसी न्यायालय में अभिदाता के विरूद्ध अभियोजन करने पर उसका बचाव करने की लागत पूरी करने हेतु ;

(vi) ऐसा अन्य व्यय या देयताएं पूरी करने हेतु जो बैंक के मत में अप्रत्याशित , असामान्य तथा अभिदाता के सामान्य साधनों से परे हो।

(ख) कोई भी अग्रिम विशेष कारणों को छोड़कर

(i) 3 महीने के वेतन (`वेतन' जैसा कि विनियम 6 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है) या निधि में अभिदाता के स्वयं के अभिदान और उस पर ब्याज की राशि के आधे से जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगा ; अथवा

(ii) पिछले अग्रिम का अंतिम भुगतान होने तक प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2)(क) अग्रिम की वसूली अभिदाता से समान मासिक किश्तों की ऐसी संख्या में की जाएगी जो बैंक निदेश दे; परंतु यह संख्या 12 से कम नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा न करना चाहे अथवा विशेष मामलों में 24 से ज्यादा नहीं होगी जहां उप विनियम (i) के खंड -ख द्वारा प्रावधान किया गया है। जहां अग्रिम की राशि तीन महीने से अधिक है, तो बैंक किश्तों की ऐसी संख्या 24 से अधिक लेकिन किसी भी परिस्थिति में 36 से अधिकनहीं करेगा। अभिदाता अपने विकल्प पर एक महीने में एक से अधिक किश्त की चुकौती कर सकता है। प्रत्येक किश्त पूरे रुपयों में होगी, आवश्यकता होने पर, अग्रिम की राशि बढ़ा दी जाएगी या कम कर दी जाएगी ताकि ऐसी किश्तों पर निर्धारण किया जा सके।

(ख) अग्रिम देने के बाद अभिदाता द्वारा पहली बार पूरे महीने का वेतन आहरण करने से वसूली प्रारंभ होगी। पूरे वेतन पर साधारण छुट्टी से इतर किसी और छुट्टी होने पर, या निर्वाह अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में, अभिदाता की सहमति के बिना वसुली नहीं की जाएगी।

(ग) इस नियम के अधीन की गई वसूली, जैसे वे की जाती हैं, निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी।

17 जून 2006 की गजट अधिसूचना द्वारा संशांधित।

11 क. (1) बैंक के विवेकानुसार तथा उसके द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों और सीमाओं के अधीन, अभिदाता द्वारा आवेदन करने पर निधि में उसके खाते मेंं जमा राशि में से सहकारी आवासीय समिति में भाग खरीदने, अथवा पंजीकरण प्रभार सहित बयाना या अन्य राशि का भुगतान करने मुद्रांक शुल्क तथा अग्रिम प्रदान किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले में उसके स्वयं के अथवा उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के आवास के लिए उपयुक्तमकान या परिसर खरीदने के उद्देश्य से होगा।

(2) इस विनियम के अधीन कर्मचारी की सेवा के दौरान केवल एक बार अग्रिम लेने की अनुमति होगी तथा अग्रिम की राशि निधि में अभिदाता के स्वयं के अभिदान तथा उस पर उपचित ब्याज अथवा जिस प्रयोजन के लिए अग्रिम का आवेदन किया है, उसके लिए वास्तव में आवश्यक राशि, में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(3) इस विनियम के अधीन अग्रिम की वसूली मासिक किस्तों की ऐसी संख्या , ऐसे अंतरालों पर और ऐसी राशि में की जाएगी , जैसा बैंक निदेश देगा , किंतु किसी भी मामले में किस्तों की संख्या 120 से अधिक नहीं होगी। अभिदाता अपनी इच्छा से एक माह में एक से अधिक किस्तें चुका सकता है , तथा प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपए की राशि में होगी।

बीमा पॉलिसियां , आदि

12.(1) (क) बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी गई परिवार पेंशन निधि में अभिदान अथवा

(2) जहाँ निधि मंे अभिदान रोके जाते हैं या उसमें अभिदान की गई राशि अभिदाता द्वारा उप -विनियम (1)(ख) के अधीन आहरित की जाती है , तो वह बीमा पॉलिसी , जिसके संबंध में राशियां रोकी या आहरित की गई हैं , ऐसी पॉलिसियों पर प्रीमियम अदा करने को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसी शर्तों पर पॉलि सियां बैंक को अंतरित की जाएंगी , जो बीमाकर्ता से बैंक द्वारा वसूली गई राशि , यदि हो , के संबंध में बैंक लगाएगा।

(1) उच्च विद्यालय के स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक , तकनीकी , व्यावसायिक या वोकेशनल पाठ्यक्रम में शिक्षा के लिए ; तथा

(2) किसी भी मान्यताप् राप्त संस्थान द्वारा विद्यालय में 10 वर्ष के सफलतापूर्वक अध्ययन के बाद किसी भी चिकित्सीय , इंजीनियरिडग , तकनीकी , व्यावसायिक या विशेषीकृत , वोकेशनल पाठ्यक्रम के लिए जिसके बाद डिग्री /डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त होता हो।

(ii) अभिदाता के स्वयं अपने विवाह या उसके पुत्र या पुत्री के विवाह के संबंध में व्यय का वहन करने के लिए और यदि उसकी पुत्री नहीं है, तो उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी भी महिला संबंधी के लिए।

(iii) अभिदाता या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के लिए , जहां आवश्यक हो , यात्रा व्यय सहित , बीमारी के संबंध में व्यय का वहन करने के लिए ;

बशर्ते कि अभिदाता , यदि चाहे , तो इस प्रकार आहरित राशि पूरी तरह या उसका कोई भाग एकमुश्त निधि को लौटा सकता है।

(ख) खंड (ग) से (ञ) के उपबंधों के अधीन , उप विनियम (1) के दूसरे परंतुक के अधीन आहरण की अनुमति निम्नलिख ितप्रयोजनों के लिए भी दी जा सकती है -

(i) किसी मकान की खरीद या मकान के स्थान के लिए

(ii) अभिदाता या अभिदाता के/की पति /पत्नी या दोनों के नाम में संयुक्त रूप से जमीन के प्लॉट पर , यथास्थिति , मकान बनाने के लिए , बशर्ते कि पति /पत्नी इन विनियमों के अधीन नामि त व्यक्ति है और आहरण के लिए आवेदन की तारीख को ऐसा नामन वियमान है;

17 जून 2006 की गजट अधिसूचना द्वारा शामिल

(क) अभिदाता तथा किसी और या अभिदाता और अन्य , यथास्थिति , के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए।

(iii) ऐसे क्रय या बिल्डिंग के लिए लिये गये ऋण की चुकौती के लिए (खरीदे गये मकान या स्थान या बनाये गये मकान पर उपचित ऋण सहित);

(iv) अभिदाता के पहले ही से स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहित मकान को फिर से बनाने या उसमें संवर्धन करने या परिवर्तन करने के लिए , या अभिदाता पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर् गत ऐसे पैतृक मकान के लिए जिसमें उसका कोई हित है।

(v) मकान या स्थान के अधिग्रहण के लिए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण प्रभार के भुगतान के लिए।

बशर्ते कि एक मकान या स्थान से अधिक के अधिग्रहण के लिए आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन उप विनियम (5) में उल्लिख ितमामले इसका अपवाद होंगे।

(ग) खरीद गया या बनाया गया मकान अभिदाता के स्वयं के लिए होना चाहिए और स्थान के मामले में, वह स्वयं अभिदाता के लिए मकान बनाने के लिए होना चाहिए ; मकान या स्थान ऐसे केंद्र पर होगा जहां अभिदाता कार्यरत है या वह लिखित रूप में घोषणा करता है कि वह सेवा निवृत्ति के बाद उस स्थान पर रहने का इच्छुक है;

(घ) आहरित राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए आहरण की अनुमति दी गयी है; वास्तविक रूप से जरूरी राशि से अधिक आहरित की गयी राशि तुंत लौटा दी जाएगी।

(ङ) अभिदाता को किसी भी समय , जैसा कि उ से बैंक द्वारा बताया जाए , निम्नलिखित के संबंध में बैंक को संतुष्ट करना होगा।

(i) आहरित की जानेवाली राशि या आहरण के लिए अनुमत राशि उसी प्रयोजन के लिए है जिसके लिए राशि आहरित की जा रही है या अनुमति दी गयी है, और राशि उस प्रयोजन के लिए ही उपयोग की गयी है;

(4) जहां उप विनियम (3) के साथ पठित उप विनियम (2) के अधीन आहरण की अनुमति दी गयी है, निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी -

(क) अभिदाता बैंक को इस बात से संतुष्ट करेगा कि उसने संबंधित सहकारी आवासन समिति से शेयरों का यथोचित टाइटल प्राप्त कर लिया है या ऐसी सोसायटी के पास राशियां जमा कराने के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर लिये हैं; या उसने किसी कानून के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से किश्तों में या अन्यथा आवासीय स्थान या परिसर की खरीद के प्रमाण के रूप में उसके अधिकार के संबंध में दस्तावेज़ प्राप्त कर लिये हैं;

(ख) अभिदाता द्वारा आहरित राशि या उसके किसी अंश के आहरण की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले, या ऐसी और अधिक अवधि में जिसकी अनुमति बैंक दे, सदस्य द्वारा आवासीय स्थान प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) राशि का आहरण, चार किस्तों से अनधिक की संख्या में और एक ही समय या एक से अधिक समय में, जैसा कि बैंक निर्णय लें, किया जा सकता है;

(घ) बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना अभिदाता ऐसे शेयरों या जमाराशि या आवासीय स्थान में अपने हित का अंतरण नहीं करेगा, समनुदेशन नहीं करेगा या कोई प्रभार नहीं बनायेगा; चूक करने पर अभिदाता को आहरित की गयी पूरी राशि एकमुश्त में तुरंत लौटानी होगी।

(5) इन विनियमों के अंतर्गत अभिदाता द्वारा आहरित राशि की सहायता से अधिग्रहित मकान का अंतरण करने , समनुदेशन करने या किसी प्रकार का हित बनाने की स्थिति में, अभिदाता ऐ से अंतरण , समनुदेशन या हित बनाने पर , यथास्थिति , बैंक को आहरित की गयी पूरी राशि तुरंत लौटा देगा।

बशर्ते कि जहां ऐसा अंतरण , समनुदेशन या हित बनाना बैंक की अनुमति से किया गया है तथा अभिदाता ने उसके द्वारा आहरित राशि बैंक को लौटा दी है, तो इन विनियमों के अन् य उपबंधों के अधीन वह निधि से नये आहरण के लिए पात्र हो जाएगा।

आहरण की सीमा और शर्तें

17 जून 2006 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधित

14.क(1) निधि से आहरित विनियम 14 के उप -विनियम (2) के खंड (क) या उस उप -विनियम के खंड (ख) के उप -खंड (iv) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजन के लिए अभिदाता द्वारा एक बार आहरित राशि सामान्यतया उसके अपने अभिदान तथा उस पर ब्याज के आधे या छह महीने के वेतन (विनियम 6 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित `वेतन '), जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगी। लेकिन व्यय और बजट नियंत्रण विभाग का मुख्य महाप्रबंधक वि नियम 14 के उप -विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस सीमा से अधिक निधि में अभिदाता के अभिदान तथा उस पर ब्याज के 3/4 तक आहरण की मंजूरी दे सकता है। मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक विनियम 14 के उप -विनियम 2 के खंड (ख) के उप -खंड (iv) में विनिर्दि ष्ट प्रयोजनों के लिए निधि में अभिदाता के अभिदान तथा उस पर ब्याज की 3/4 तक की राशि के आहरण को मंजूर कर सकता है।

(2) विनियम 14 के उप विनियम (2) के खंड (ख) के अधीन अभिदाता द्वारा आहरित राशि (उस खंड के उप -खंड (iv) को छोड़कर) उसके अपने स्वयं के अभिदान और उस पर ब् याज से अधिक नहीं होगी।

(3) जिस अभिदाता को विनियम 14 के उप विनियम (2) के अधीन निधि से धन आहरित करने की अनुमति दी गयी है, वह बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट यथोचित अवधि में बैंक को इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है जिसके लिए उसका आहरण किया गया था, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो, विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित दर पर ब्याज सहित एकमुश्त में तुंत लौटा देगा और इस प्रकार भुगतान न करने पर, बैंक यह आदेश देगा कि उसके पारिश्रमिक से एकमुश्त में या बैंक द्वारा निर्धारित मासिक कि्स्तों की संख्या में वसूल किया जाएगा।

अग्रिम को आहरण में बदलना

14.ख. जिस अभिदाता को विनियम 11 या 11क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम प्रदान किया गया है, उसे बैंक द्वारा विनियम 14 के अंतर्गत उस विनियम में निर्धारि त संबंधित शर्ते पूरा करने पर ऐसे अग्रिम को आहरण को बदलने की अनुमति दी जा सकती है।

14.खख. यदि पति और पत्नी दोनों ही बैंक के कर्मचारी हैं और निधि में अभिदान कर रहे हैं और एक दूसरे के नामिती हैं, तो किसी एक के नाम में किसी एक द्वारा मकान का अधिग्रहण करने के प्रयोजन से अग्रिम और आहरण की कुल राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो बैंक द्वारा समय-समय पर एक अभिदाता के संबंध में निर्धारित की गयी है।

14.ग(1) प्रशासक , ऐसी शर्तों के अधीन जो वे निर्धारित करना उचित समझें, इन विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त सभी शक्तिय ाअथवा कोई भी शक्ति बैंक के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। लेकिन विनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा विनियम 5(iii) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियां इसका अपवाद होगी।

(2) उप विनियम (1) के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

दिनांक 17 जून 2006 की गजट अधिसूचना द्वारा संशोधित

(i) मुख्य महाप्रबंधक

(क) विनियम 11 के तहत अग्रिम या विनियम 14 के उप-विनियम (1) के दूसरे परंतुक के तहत आवास के अलावा छह महीने के वेतन तक लेकिन अभिदाता के अभिदान और उस पर ब्याज के आधे से अनधिक के आहरण।

स्पष् टीकरण -I

इस विनियम और विनियम 16 में, "परिवार " का अभिप्राय किसी अभिदाता की पत्नी या पत्नियों , या पति और बच्चों तथा अभिदाता की विधवा , विधवाओं या मृत पुत्र के बच्चों से है;

बशर्ते कि कोई अभिदाता यह साबित करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उससे अलग हो गयी है या उस समुदाय जिससे वह संबंद्ध है के परंपरागत कानून द्वारा गुजारा पाने के हक से वंचित कर दी गई है, उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित में प्रशासन को सूचना न दे कि वह परिवार की सदस्य बनी रहेगी ;

बशर्ते यह भी कि यदि कोई अभिदाता प्रशासन को लिखित में अपने पति को परिवार से बाहर निकालने की इच्छा की सूचना दे, तब पति को तब तक परिवार के एक सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि अभिदाता तद्नुसार अपनी सूचना लिखित अधिसूचना में औपचारिक रूप से उसे बाहर निकालने को रद्द न करें।

बशर्ते कि ऐसी स्थिति में जब धारण पर्सनल लॉ द्वारा मान्य हो जो अभिदाता को अधिशासित करता है, तो दत्तक बच्चे को बच्चे के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण -II

इस विनियम में "व्यक्ति " प्रयोजन के अभिप्राय के केंद्र सरकार , राज्य सरकार , कोई स्थानीय प्राधिकारी , कोई कंपनी या किसी व्यक्ति का संघ या निकाय चाहे वह निगमित हो या न हो या किसी पद द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति शामिल है।

कुछ मामलों में आश्रितों का नामन

15. क. विनियम 15 में किसी बात के होते हुए भी , कोई अभिदाता ऐसे किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है जिसे भविष ्यनिधि अधिनियम 1925 में एक आश्रित परिभाषित किया गया है , यदि बैंक संतुष्ट है कि विनियम के अनुरूप ऐसा नामन करना या बनाए रखना अनुचित कठिनाई उत्पन्न करेगा और वह न्यायसंगत और साम्यिक नहीं होगा। ऐसे नामन इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म -ख 2 में किए जाएगें।

किसी अभिदाता की मृत्यु होने पर भुगतान

16. किसी अभिदाता की मृत्यु होने पर -

(i) जब किसी अभिदाता का कोई परिवार है तो -

(क) यदि अभिदाता द्वारा इन विनियमों के अनुरूप अपने परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नामन जारी रहता है , तब निध िमें उसके खाते में बकाया राशि या जैसा नामन में इसका भाग बताया गया है , उस राशि का भुगतान नामिती या नामन में निर्दिष्ट नामितियों को नामन में विनिर्दिष्ट अनुपात में किया जाएगा।

(ख) यदि अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोईनामन नहीं है या यदि ऐसा कोई नामन निधि में जमा उसकी बकाया राशि के केवल एक भाग से संबद्ध है , तब पूरी राशि या वह भाग जिसका कोई नामन नहीं है , जैसी स्थिति हो , परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों से इतर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किसी नामन के होते हुए भी , उसके परिवार के सदस्यों को समान भागों में देय
हो जाएगी।

यदि खंड (i), (ii),(iii) और (iv) में निर्दिष्ट के अलावा परिवार का कोई सदस्य हो ;

बशर्ते यह भी कि किसी मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चा या बच्चे बराबर भागों में केवल उतना अंश ही पाएगें जितना कि अभिदाता का पुत्र पाता यदि वह जीवित रहता और यदि अभिदाता का पुत्र जीवित रहता तो उसे पहले परंतुक के खंड (i) के तहत अंश से निकाल दिया जाता , उसे नहीं निकाला गया है।

बशर्ते यह भी कि यदि विनियम 15क के तहत किसी आश्रित या आश्रितों के पक्ष में कोई नामन किया गया है, तब अभिदाता के खाते में बकाया राशि या उसका भाग जैसा नामन में निर्दिष्ट हो , इस उप -खंड में किसी बात के होते हुए भी , नामिति या नामन में निर्दिष्ट नामितियों को नामन में विनिर्दिष्ट अनुपात में भुगतान योग् य होगा।

(क) इन विनियमों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया नामन ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया हो जो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 के अधीन अभिदाता पर आश्रित व्यक्ति है या व्यक्ति हैं, के संबंध में है, तो निधि में उसके खाते की राशि , या यथास्थिति वह भाग जो नामन के संबंध में है, नामन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामिती या नामितियों को देय हो जाएगी ;

(ख) यदि ऐसा कोई नामन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित आश्रित नहीं है, तो निधि में उसके खाते की राशि , या यथास्थिति नामन के संबंध में राशि , ऐसे नामितियों को देय हो जाएगी यदि राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ग) यदि कोई ऐसा नामन नहीं है, या ऐसा नामन निधि में अभिदाता के खाते की राशि के एक भाग के लिए ही है, तो पूरी राशि , या यथास्थिति , उसका वह भाग जो नामन के संबंध में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देय हो जाएगी जो प्रशासकों के मत में अन्यथा उसे प्राप्त करने का पात्र है, यदि पूरी राशि , या यथास्थिति , उसका कोई भाग पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है।

(घ) यदि उप खंड (क) या उप खंड (ख) या उप खंड (ग) के अधीन राशि या उसका कोई भाग किसी भी व्यक्ति को देय नहीं है, तो वह भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 4 के खंड (ग) के अनुसार प्रोबेट

प्रस्तुत करने या मृत व्यक्ति की संपदा का प्रशासन पत्र प्रस्तुत करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति को देय हो जाएगा।

टिप्पणी : जब कोई नामिति या कोई अन्य व्यक्ति भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित अनुसार अभिदाता का आश्रित है, तो इन विनियमों के अंतर्गत ऐसे नामिती या किसी अन्य व्यक्ति को देय राशि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2 के अंतर्गत आश्र ितमें निहित है।

17. निधि का अभिदाता बनने पर प्रत्येक कर्मचारी निम्नलिखित फार्म में करार निष्पादित करेगाः -

अभिदाताओं द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार	मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों को पढ़ लिय ाहै और उन्हें समझ लिया है और मैं एतद्वारा उक्त निधि में अभिदान करने का वचन देना हूं और एतद् द्वारा उक्त विनियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

पूरे हस्ताक्षर _____

दिनांक _____ पता _____

_____

_____

साक्षी _____

भाग II

अस्थायी उपबंध

परिभाषाएं

18. इस भाग में -

(i) `स्थानांतरित कर्मचारी ' का अभिप्राय है, सर कार या इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की सेवा से बैंक की स्थायी सेवा में स्थानांतरित व्यक्ति ;

(ii) `पूर्व कर्मचारी ' का अभिप्राय है, स्थानांतरित कर्मचारी के संदर्भ में, यथास्थिति , सरकार या इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ;

(iii) `पूर्व अधिकार ' का अभिप्राय है, स्थानांतरित कर्मचारी के संदर्भ में, ऐसे अधिकार जो उसके पूर्व नियोक्ता की सेवा की शर्तों के अधीन पेंशन , अंशदायी भविष्य निधि , या सेवा निवृत्ति पर बोनस के संबंध में उसके पास थे; और

(iv) `पूर्व निधि ' का अभिप्राय है, स्थानांतरित कर्मचारी के संदर्भ में, उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा रखी गयी भविष्य निधि जिसमें ऐसा स्थानांतरित कर्मचारी अभिदाता रहा है।

स्थानांतरित कर्मचारी पूर्व अधिकारों के संबंध में घोषणा करेंगे।

19. प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी , अपने पेंशन संबंधी अधिकारों के बीमांकित मूल्य की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने से अनधिक अवधि में इन विनियमों के नियोजन के लिए फार्म `ग' में एक घोषणा करेगा जिसमें वह बतायेगा कि वह पूर्व अधिकार रखना चाहता है या छोड़ना चाहता है।

पूर्व अधिकार जारी रखनेवाले स्थानांतरित कर्मचारी

20. (i) ऐसा स्थानांतरित कर्मचारी जिसनें , विनियम 19 के अंतर्गत घोषणा के द्वारा अपने पूर्व अधिकार जारी रखे हैं, इन विनियमों के भाग I के अधीन निधि में अभिदान करने का पात्र नहीं होगा।

(ii) प्रत्येक स्थानांतरित कर्मचारी , जिसने विनियम 19 के अधीन घोषणा के द्वारा अपने पूर्व अधिकारी जारी रखे हैं और अपने स्थानांतरण से तुरंत पहले पूर्व निधि का अभिदाता था (चाहे वह विनियम 22 के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करता है या नहीं) ऐसी पूर्व निधि के नियमों के अधीन होगा जो इस विनियम के प्रयोजन के लिए , निधि के नियम माने जाएंगे , पूर्व निधि के नियमों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और प्राधिकारियों के स्थान पर केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण की शर्त के अधीन प्रशासकों द्वारा यथा निदेशित व्यक्तियों और प्राधिकारियों के संदर्भ रखे जाएंगे ; और ऐसे कर्मचारी , यदि और जिस सीमा तक ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित है, निधि में अभिदा न करेंगे :

बशर्ते कि इस उप विनियम में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे निधि में स्थानांतरित कर्मचारी के खाते में जमाराशियों पर देय ब्याज की दर उस दर से कम हो जाए जो यदि वह अपनी पूर्व निधि में अभिदान करना जारी रहता तो उसे नियमों के अंतर्गत देय होता।

(iii) उप वि नियम (ii) के अधीन निधि में अभिदान कर रहे कर्मचारी के संबंध में, पूर्व निधि के नियमों के अधीन सभी घोषणाएं , नामन और किये गये चुनाव , प्रयुक्त विकल्प तथा अन्य की गयी चीजें , इस विनियम के प्रयोजन के लिए जारी रहेंगी जब तक कि इस विनियम के अधीन वे नियम परिवर्तित न किये जाए या रद्द न किये जाए।

अपने पूर्व अधिकार छोड़ देनेवाले स्थानांतरित कर्मचारी

21. (i) ऐसा कोई भी स्थानांतरित कर्मचारी जिसने विनियम 19 के अधीन घोषणा के द्वारा अपने पूर्व अधिकार छोड़ दिए हैं, वह इन विनियमों के भाग I के अधीन निधि में अभिदान कर सकता है, यदि -

(क) वह उच्चतर सेवा में है, या अधीनस्थ सेवा में होने पर, वह 30/- रुपये प्रतिमाह या अधिक का वेतन प्राप्त कर रहा है।

(ख) अधीनस्थ सेवा में होने पर, 30/- रुपये प्रतिमाह से कम वेतन होने पर यदि वह चाहे तो।

(ii) ऐसा कोई कर्मचारी जिसे उप विनियम (i) के अधीन निधि में अभिदान करने को कहा जाए या अनुमति दी जाए, वह अपने पूर्व नियोक्ता के अधीन पेंशन के लिए सेवा के लिए उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा उसे दी गयी कोई राशि निधि में जमा कर सकता है;

बशर्ते कि इस प्रकार निधि में जमा करायी गयी किसी भी राशि के संबंध में बैंक कोई अंशदान नहीं करेगा।

(iii) यदि उप-विनियम (i) के अधीन किसी ऐसे कर्मचारी से निधि में अभिदान करने की आवश्यकता थी या अनुमति दी गई थी और वह किसी पूर्व निधि के नियमों के अधीन विनियम 12 में वर्णित प्रकार की किसी जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में सुविधाएं ले रहा था, तो वह उस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पॉलिसी के संबंध में ऐसी सुविधाओं का लाभ लेता रहेगा, परंतु ये पूर्व निधि के नियमों के प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जो उस विनियम के प्रयोजन के लिए उसका भाग माना जाएगा और जैसा कि केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में प्रशासक पूर्व निधि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और प्राधिकारियों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति और प्राधिकारी रखें।

सभी स्थानांतरित कर्मचारियों के लिए विकल्प

22. स्थानांतरित कर्मचारी जो विनियम 20 के उप विनियम (ii) के अधीन या विनियम 21 के उप विनियम (i) के अधीन निधि में अभिदान करता है वह -

(क) अपनी पूर्व निधि में उसके खाते में जमा राशि ;

(ख) अपने पूर्व नियोक्ता के साथ अपनी सेवा के संबंध में उसे बोनस के रूप में दी गयी राशि ;

की पूरी राशि लेकिन उसका कुछ अंश नहीं , निधि में जमा कर सकता है;

बशर्ते कि निधि में इस प्रकार जमा की गयी राशि के संबंध में बैंक कोई अंशदान नहीं करेगा।